

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-535/2000
संस्थित दिनांक- 18.12.2000

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह बुंदेला उम्र 61 साल
2. रामचरण पुत्र गणपत लुहार उम्र 57 साल
3. बल्लू उर्फ कल्लू पुत्र हमीर सिंह धोबी उम्र 42 साल
4. नन्दलाल पुत्र तुलसीराम लोधी उम्र 67 साल
5. छोटे उर्फ ज्योतेन्द्र पुत्र बहादुर सिंह बुन्देला उम्र 52 साल
6. हल्केराम पुत्र रावरामा बुन्देला उम्र 57 सालस्थायी वारण्ट
7. भूपेन्द्र पुत्र जहेन्द्र सिंह बुन्देला उम्र 41 साल
8. जहेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह बुन्देला उम्र 57 साल फौत
9. महेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह बुन्देला उम्र 67 साल फौत
10. लोकेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह बुन्देला उम्र 46 साल
निवासीगण ग्राम नानौन

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 08.01.2018 को घोषित)

- 01- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 148, 429/149, 323/149 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 05.10.2000 को शाम 06:00 बजे ग्राम छपरा, साजे का हार में उपहति कारित करने एवं पशु कूरता के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में लाठियों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर बल्वा किया एवं विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य बने रहते हुये जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में रामस्वरूप, पप्पू एवं प्रेमा को मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की व फरियादी लाखन सिंह की भैंस जिसकी कीमत 5000/- रुपये थी, का वध करके रिष्टी कारित की।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-05.10.2000 को गांव छपरा एवं छपरा चक के करीबन 200 मवेशी चर रहे थे, वहां रामस्वरूप, प्रेमा थे। करीब 05:00 बजे नानौन के 10-12 आदमी लाठियों लेकर सभी मवेशियों को नानौन तरफ घेर कर ले जाने लगे, चरवाहे पप्पू और रामस्वरूप और प्रेमा ने रोका तो उन्हें मारने दौड़े तथा रामस्वरूप, पप्पू, प्रेमा की मारपीट की, तब लाखन सिंह तथा बैजनाथ भागकर पहुंचे उनसे कहा कि तुम हमारे कहा ले जा रहे हो, फिर महेन्द्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, जयसिंह, लोकेन्द्र सिंह, हल्के, छुट्टा बुंदेला, रामचरण कारीगर, नन्दलाल लोधी, कल्लू आदि मवेशियों में लाठियों मारते हुये रोन्धते हुये नानौन ले गये और कान्जी हाउस में जबरन बन्द करा दिये, लाखन सिंह और बैजनाथ सिंह कान्जी हाउस देखने गये तो उक्त लोगों ने मवेशियों को इतना

मारा कि उनमें से एक ओसर 5,000/- रुपये की वहीं मर गई। गाय व भैंसे कान्जीहाउस से उन्होंने छोड़ दिये। फरियादी लाखन द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-326/2000 अंतर्गत धारा-429, 323 भा0द0वि0 एवं 11 पशु क्रूरता निवारण के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03- अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ़ कर सुनाये गये उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि अभियुक्त जहेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह बुंदेला दिनांक 30.12.2017 एवं महेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह बुन्देला दिनांक 06.01.2011 को फौत घोषित हैं। अतः प्रकरण में उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त घोषित की जाती है एवं अभियुक्त हल्केराम पुत्र रावरामा बुन्देला का दिनांक 29.01.2014 को स्थाई वारण्ट जारी है।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 05.10.2000 को शाम 06:00 बजे ग्राम छपरा साजे का हार में उपहति कारित करने एवं पशु क्रूरता के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में लाठियों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर बलवा कारित किया ?
2.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य बने रहते हुये जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में रामस्वरूप, पणू एवं प्रेमा को मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बने रहते हुये, फरियादी लाखन सिंह की भैंस जिसकी कीमत 5000/- रुपये थी, का वध करके रिष्टी कारित की ?
4	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक- 1, 2, 3 व 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

06- सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है।

- 07- फरियादी लाखन सिंह (अ0सा0-1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि घटना वर्ष 2000 के दिन के 04:00 बजे की है, उसकी भैंस सहित 50 नग मवेशी को हरिराम चरा रहा था, तो वहां पर सुरेन्द्र, भूपेन्द्र, नंदलाल, रामचरण, लोकेंद्र, हल्के, छुटके आये और हांक कर नानौन ले गये। फरियादी के अनुसार दूसरे दिन सुबह जब पुलिस गई, तो सुरेन्द्र के घर में भैंसे मरी पड़ी मिली थी। फरियादी का कहना है कि हरिराम के साथ आरोपीगण ने मारपीट भी की थी तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-2 में फरियादी का कहना है कि उसे हरिराम ने ही यह बताया था, कि आरोपीगण माल हांक कर ले गये हैं।
- 08- फरियादी लाखन सिंह (अ0सा0-1) के उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि फरियादी के अनुसार उसने स्वयं कोई घटना नहीं देखी तथा उसे घटना की जानकारी हरिराम के बताये अनुसार है। फरियादी ने अपने मुख्यपरीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथनों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि हरिराम उसकी भैंस को कहा चरा था तथा कहा से आकर आरोपीगण मवेशी हांक कर ले गये थे। फरियादी का कही भी यह कहना नहीं है कि उसने स्वयं आरोपीगण को भैंसों को हांककर नानौन ले जाते हुये एवं हरिराम की मारपीट करते हुये देखा था।
- 09- फरियादी लाखन सिंह (अ0सा0-1) प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट थाने पर लेख करना बताता है, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं, परन्तु उक्त रिपोर्ट में इस बात का कही भी कोई उल्लेख नहीं है कि उसकी भैंस को हरिराम चरा रहा था तथा आरोपीगण ने किसी हरिराम नामक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी। हरिराम के संबंध में फरियादी ने पुलिस को भी कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं। वहीं अभियोजन की ओर से हरिराम नाम के किसी भी साक्षी कथन न तो न्यायालय में कराये गये और न ही ऐसे किसी व्यक्ति की मौके पर उपस्थिति के संबंध में फरियादी सहित अन्य किसी भी साक्षी ने पुलिस को कोई कथन दिये हैं। अतः स्पष्ट है कि फरियादी लाखन सिंह (अ0सा0-1) के द्वारा हरिराम नामक व्यक्ति के संबंध में न्यायालय में दिये गये कथन उसके पूर्व में पुलिस को दिये गये कथन एवं पुलिस रिपोर्ट में वर्णित घटना के विरोधाभासी हैं।
- 10- फरियादी लाखन सिंह (अ0सा0-1) एक ओर अपने परीक्षण में हरिराम के द्वारा उसकी भैंसों को चराना व हरिराम से ही घटना की जानकारी होना बताता है, परन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-4 में यह साक्षी अभियोजन के समर्थन में यह कथन देता है कि उसे घटना के बारे में रामस्वरूप व प्रेमनारायण (अ0सा0-3) ने बताया था। लाखन सिंह (अ0सा0-1) अभियोजन के समर्थन में यह तो कहता है कि घटना की जानकारी रामस्वरूप से मिलने के बाद वह बैजनाथ (अ0सा0-9) को लेकर घटना स्थल पहुंचा था, परन्तु वह कहा व किस स्थान पर पहुंचा, इस का उल्लेख फरियादी ने अपने कथनों में नहीं किया।
- 11- प्रकरण में दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार फरियादी घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर वन विभाग की जमीन पहुंचे थे, जहां उसे अभियुक्तगण को लाठियों से भैंसों को मारते हुये नानौन ले जाते हुये देखा था अर्थात् प्रथम सूचना रिपोर्ट

के अनुसार स्वयं फरियादी ने अभियुक्तगण को मौके से भैसें लाठियों से हांकते हुये ले जाते हुये देखा था, परन्तु फरियादी लाखन सिंह (अ0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-4 में अभियोजन के विपरीत यह कहता है कि जब वह मौके पर पहुंचा था, तो उसे न तो भैसें मिली, न ही आरोपीगण मिले, और न ही उसने आरोपीगण को पप्पू, रामस्वरूप व प्रेमा की मारपीट करते हुये देखा था। अतः फरियादी लाखन सिंह (अ0सा0-1) के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथनों से यह स्पष्ट होता है कि स्वयं फरियादी ने न तो आरोपीगण को भैसें हांक कर ले जाते हुये देखा, और न ही भैसो के साथ व पप्पू, रामस्वरूप व प्रेमनारायण के साथ मारपीट करते हुये देखा था।

- 12- अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में आहत प्रेमनारायण (अ0सा0-3) पप्पू (अ0सा0-10) व रामस्वरूप हैं, जिनके साथ अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्तगण ने भैसें हांक कर ले जाते समय मारपीट की थी। अभियोजन की ओर से साक्षी रामस्वरूप के कथन न्यायालय में उसका कोई अता पता ज्ञात न होने के कारण नहीं कराये गये हैं, वहीं प्रेमनारायण (अ0सा0-3) व पप्पू (अ0सा0-10) को अभियोजन साक्षी के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत कर उनका परीक्षण कराया गया है।
- 13- प्रेमनारायण (अ0सा0-3) का अपने कथनों में अभियोजन के समर्थन में यह तो कहना है कि घटना के समय व जंगल में मवेशी चराने गया था, उस समय वहां पर रामस्वरूप और पप्पू भी मवेशी चरा रहे थे तथा उस समय मोहल्ले के बहुत से लोगों के मवेशी भी वहां चर रहे थे, परन्तु इसी साक्षी का यह भी कहना है कि वह सिद्ध बाबा पर पानी पीने गया था और जब वहा से वापस आया तो उसने कुछ लोगों को मवेशी हांक कर ले जाते हुये देखा था। उक्त लोग मवेशी नानौन ले गये थे और एक घर मवेशी बंद कर दिये थे, जिनमें एक भैस मर गई थी।
- 14- घटना के समय मवेशियों को हांक कर कौन ले गया था, इस संबंध में प्रेमनारायण (अ0सा0-3) ने अपने न्यायालीन कथनों में उन व्यक्तियों के नाम व पहचान स्पष्ट नहीं की है। बल्कि अभियोजन के विपरीत घटना में आहत होते हुये भी इस साक्षी का यह कहना है कि जब लोग मवेशी हांककर ले जा रहे थे तो वह उनके पास नहीं गया, और न ही उसने, रामस्वरूप व पप्पू ने मवेशी ले जाने से उन लोगों को मना किया। प्रेमनारायण (अ0सा0-3) का यह भी कहना है कि उसके साथ महेंद्र ने कोई मारपीट नहीं की ओर न ही उसने पप्पू रामस्वरूप की मारपीट होते हुये देखी थी।
- 15- प्रेमनारायण (अ0सा0-3) एक ओर कुछ व्यक्तियों को मवेशी हांककर ले जाते हुये देखना अपने मुख्यपरीक्षण में बताता है, परन्तु अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी कर पूछे गये परीक्षण में इस साक्षी का अभियोजन के विरुद्ध यह कहना है कि उसने न तो जानवरो को हांककर ले जाते हुये देखा और न ही व्यक्तियों को मारते हुये देखा। यह साक्षी अभियोजन के विपरीत यह कहता है कि उसने पुलिस को आरोपीगण के नाम नहीं बताये थे तथा प्रतिपरीक्षण में मुख्य परीक्षण में दिये गये कथनों के विपरीत इस साक्षी का कहना है कि वह पानी पीने चला गया था इसलिए नहीं देख पाया कि क्या हुआ। इस साक्षी का कहना है कि जब वह पानी पीकर वापस आया तो उसने मवेशियों को हांकते हुये नहीं देखा था।

- 16— प्रेमनारायण (अ0सा0-3) ने अपने कथनों में अभियोजन का इस बात पर लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया कि घटना अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई। इस साक्षी ने अपने साथ मारपीट की घटना से तो इन्कार किया ही है, वहीं पप्पू व रामस्वरूप के साथ आरोपीगण द्वारा की गई मारपीट न देखना बताया है। इस साक्षी ने वास्तव में आरोपीगण को मवेशी हांक कर ले जाते हुये देखा था। इस संबंध में इस साक्षी के मुख्यपरीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में दिये गये कथनों में ही गंभीर तात्त्विक विरोधाभास है जिससे इस साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 17— अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में अन्य आहत पप्पू (अ0सा0-10) के न्यायालीन कथनों में भी गंभीर तात्त्विक विरोधाभास है, यह साक्षी अपने मुख्यपरीक्षण में ग्राम छपरा के जंगलों से रेन्ज से आरोपीगण के द्वारा मवेशी हांक कर ले जाने के संबंध में न्यायालय में तो कथन देता है, परन्तु वास्तव में आरोपीगण ने उक्त घटना कारित करते समय उसके व अन्य के साथ कोई मारपीट की, इसका इस बात पर इस साक्षी ने अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन न करते हुये अभियोजन के विरुद्ध न्यायालय में कथन दिये। अभियोजन के द्वारा पक्ष विरोधी किये जाने के बाद इस साक्षी का भी अभियोजन के विरुद्ध यह कहना है कि महेन्द्र ने उसके साथ मवेशी ले जाते समय कोई मारपीट नहीं की तथा प्रेमनारायण (अ0सा0-3) व रामस्वरूप के साथ मारपीट की उसे जानकारी नहीं हैं। यह साक्षी एक ओर आरोपीगण को मवेशी हांक कर ले जाते हुये, देखना अपने मुख्यपरीक्षण में बताता हैं, परन्तु साथ ही इस साक्षी का उपरोक्त कथनों के विपरीत अपने परीक्षण में यह कहना है कि प्रेमनारायण (अ0सा0-3) व रामस्वरूप अन्य जगह पर मवेशी चरा रहे थे और आरोपीगण उसके पास नहीं आये थे तथा प्रेमनारायण व रामस्वरूप से 10-5 मिनट के बाद उसके पास पहुंचकर घटना के बारे में उसे बताया था और जब वह घटना स्थल पहुंचा तो वहां उसे कोई नहीं मिला।
- 18— अतः पप्पू (अ0सा0-10) एक ओर स्वयं आरोपीगण को मवेशी हांक कर ले जाते हुये बताता है, वहीं दूसरी ओर यह साक्षी प्रेमनारायण (अ0सा0-3) व रामस्वरूप के 10-05 मिनट के बाद उसे घटना बताने पर वह मौके पर पहुंचना बताता है, जहां इस साक्षी के अनुसार उसे कोई नहीं मिला। अतः पप्पू (अ0सा0-10) के साथ आरोपीगण ने मारपीट की कोई घटना कारित की इस संबंध में तो पप्पू (अ0सा0-10) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया, वही पप्पू (अ0सा0-10) के सामने अभियुक्तगण मवेशी हांककर ले गये थे, इस संबंध में इस साक्षी के कथनों में गंभीर तात्त्विक विरोधाभास की स्थिति है, जिससे घटना के संबंध में इस साक्षी के कथन भी लेशमात्र भी विश्वसनीय नहीं है।
- 19— अभियोजन कहानी के अनुसार एवं फरियादी लाखनसिंह (अ0सा0-1) के कथनों के अनुसार रामस्वरूप व प्रेमनारायण (अ0सा0-3) के द्वारा घटना बताये जाने के बाद लाखन सिंह (अ0सा0-1) बैजनाथ (अ0सा0-9) के साथ घटना स्थल पहुंचा था, जहां उन्होंने भी आरोपीगण को मवेशी हांक कर ले जाते हुये देखा था। बैजनाथ (अ0सा0-9) घटना में अभियोजन घटना के अनुसार मारपीट घटना के बाद पहुंचा था, परन्तु घटना स्थल पर बैजनाथ (अ0सा0-9) की उपस्थिति के संबंध में पप्पू (अ0सा0-10) ने जहा अभियोजन के विरुद्ध कथन देते हुये, बैजनाथ (अ0सा0-9) को भी घटना के समय मवेशी चराना बताया है, वही बैजनाथ (अ0सा0-9) भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन के विरुद्ध अपने

न्यायालीन कथनों में कहता है कि वह घटना के समय रेन्ज की भूमि पर मवेशी चराने गया था। अतः बैजनाथ (अ0सा0-9) घटना स्थल पर कब पहुँचा था, इस संबंध में स्वयं बैजनाथ (अ0सा0-9) व पप्पू (अ0सा0-10) के कथन अभियोजन घटना के विपरीत हैं।

20- बैजनाथ (अ0सा0-9) का कहना है कि जब वह अपने मवेशी चरा रहा था तो आरोपीगण मवेशी हाँककर ले गये तथा आरोपीगण ने उससे कुछ नहीं कहा तथा और कोई घटना कारित नहीं की। अभियोजन के विरुद्ध कथन देने से अभियोजन के द्वारा परीक्षण किये जाने पर यह साक्षी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि वास्तव में आरोपीगण को पप्पू (अ0सा0-10) प्रेमनारायण (अ0सा0-3) व रामस्वरूप ने मवेशी ले जाने से रोका था, जिस आरोपीगण ने उनके साथ मारपीट की थी। यह साक्षी अभियोजन का इस बात पर भी समर्थन नहीं करता है कि आरोपीगण उसके सामने मवेशियों को मारपीट कर ले गये थे।

21- बैजनाथ (अ0सा0-9) के कथन अन्य साक्षियों के कथनों के सामान गंभीर रूप से विरोधाभासी है, जिसमें एक ओर यह साक्षी घटना स्थल पर स्वयं की उपस्थिति दर्शाते हुये कहता है कि वह मवेशी चरा रहा था और उसने आरोपीगण को मवेशी हाँकते हुये ले जाते हुये देखा था, परन्तु बैजनाथ (अ0सा0-9) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में अभियोजन घटना के विपरीत यह कहता है कि घटना स्थल पर न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण नहीं थे, तथा उसने मात्र महेंद्र सिंह को देखा था तथा इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण मारपीट करके भैंस नहीं ले गये। यदि इस साक्षी को वास्तव में घटना की जानकारी होती या उसने स्वयं कोई घटना देखी होती, तो वह निश्चित रूप से यह बता सकता था कि घटना स्थल पर उसने कितने अभियुक्तों को देखा था तथा घटना स्थल पर अभियुक्तगण ने पप्पू रामस्वरूप व प्रेमनारायण के साथ मारपीट की थी। अतः इस साक्षी के कथन इस संबंध में लेशमात्र भी विश्वसनीय नहीं है कि उसने स्वयं ने आरोपीगण को घटना स्थल से मवेशी हाँककर ले जाते हुये देखा था।

22- घटना के अन्य साक्षी देशराज (अ0सा0-2) व वीरसिंह (अ0सा0-8) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया तथा घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है। इस साक्षी के अनुसार न तो उसने घटना देखी और न ही उसने घटना के बारे में सुना। इसी प्रकार रामसिंह (अ0सा0-4) अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन के समर्थन में यह तो कहता है कि वह 8-9 साल पहले रेन्ज के जंगलों में उसके जानवर चर रहे थे, जिन्हें आदिवासी बरौदी चराने गये थे, वहाँ पर नानौन गांव के 7-8 लोग जानवरों को नानौन हाँक कर ले गये थे। जिसके बाद पुलिस नानौन जानवरों को छुड़ाने गई थी, जिसमें एक भैंस मरी हुई मिली थी, जो फरियादी की थी। रामसिंह (अ0सा0-4) का कहना है कि उपरोक्त जानकारी उसे बरेदिया हरिराम ने दी थी अर्थात् राम सिंह (अ0सा0-4) ने जो कथन न्यायालय में दिये हैं, वह उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होकर अनुश्रुत साक्षी है। अनुश्रुत साक्षी होने के बाद भी इस साक्षी ने अपने कथनों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि जानवरों को हाँक कर कौन ले गया था, बल्कि इसके विपरीत प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में इस साक्षी का कहना है कि उसके सामने आरोपीगण ने मारपीट नहीं की और भैंस उसके सामने ले गये थे।

23- फूलसिंह (अ0सा0-5) का कहना है कि घटना दिनांक को उसके तथा गांव के अन्य

मेवशिओं को आदिवासियों के लडके प्रेम (अ0सा0-3) व हरिराम मवेशी चराने ले गये थे, जिन्होंने घर पर आकर बताया कि नानौन वाले भैंसों को हांककर ले गये, परन्तु कौन व्यक्ति भैंसों को हांककर ले गया, यह इस साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया। वहीं इस साक्षी ने इस बात का खण्डन किया कि उसके सामने आरोपीगण ने मवेशियों को नहीं पीटा और न उसने मवेशी कान्जी हाउस में देखे और न ही वह उन्हें छुड़ाने गया। फूलसिंह (अ0सा0-5) के कथनों से स्पष्ट होता है कि यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है कि और न उसे जानकारी है कि मवेशी घटना स्थल से कौन ले गया था, और न ही वह मवेशियों को छुड़ाने कहीं गया। अतः फूलसिंह (अ0सा0-5) के कथन भी घटना स्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थिति तथा उनके द्वारा मारपीट की घटना एवं मवेशी हांककर ले जाने की घटना प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

24- अतः घटना के संबंध में फरियादी सहित अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये किसी भी साक्षी ने अभियोजन का इस बात पर लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि घटना में अभियुक्तगण ने हथियारों से लेश होकर पशु चरा रहे, पप्पू (अ0सा0-10) प्रेमनारायण (अ0सा0-3) व रामस्वरूप के साथ मारपीट की थी, तथा उनके सामने पशुओं को हांक कर आरोपीगण ही घटना स्थल से ग्राम नानौन ले गये थे। फरियादी लाखन सिंह (अ0सा0-1) सहित बैजनाथ (अ0सा0-9), फूलसिंह (अ0सा0-5) राम सिंह (अ0सा0-4) का अपने कथनों में कही भी यह कहना नहीं है कि उन्हें किसी ने यह बताया हो कि पप्पू (अ0सा0-10) प्रेमनारायण (अ0सा0-4) व रामस्वरूप के साथ आरोपीगण ने हथियारों से कोई मारपीट की थी। वीरसिंह (अ0सा0-8) व देशराज (अ0सा0-2) ने अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है, वही स्वयं अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में बताये गये आहत पप्पू (अ0सा0-10) व प्रेमनारायण (अ0सा0-3) ने अभियोजन इस बात पर लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि आरोपीगण ने घटना में घातक हथियारों से लेश होकर उनके साथ कोई मारपीट की या बल का प्रयोग किया।

25- अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने पशुओं के प्रति क्रूरता कारित करने एवं रामस्वरूप, पप्पू एवं प्रेमा को स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिये विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उक्त विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बलवा किया एवं प्रेमा, रामस्वरूप व पप्पू को स्वेच्छया उपहति कारित की।

26- जहां तक अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी लाखन सिंह (अ0सा0-1) की भैंस का वध करने का प्रश्न है, तो सर्वप्रथम तो यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये किसी भी साक्षी का ऐसा कहना नहीं है कि उन्होंने आरोपीगण में से किसी को फरियादी की भैंस का वध करते हुये देखा था। लाखन सिंह (अ0सा0-1) का अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका-4 कथनों में कहना है कि जब वह घटना स्थल पर पहुँचा तो उसे मौके पर न भैंसे मिली न ही आरोपीगण मिले।

27- बैजनाथ (अ0सा0-9) ने घटना स्थल पर अपने सामने मवेशियों को आरोपीगण के द्वारा हांक कर ले जाना बताया है, परन्तु न्यायालय में दिये गये विरोधाभासी कथनों से इस साक्षी की साक्ष्य इस संबंध में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है कि उसने स्वयं आरोपीगण

को भैंसें हांककर ले जाते हुये देखा था। इसी प्रकार पप्पू (अ0सा0-10) भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में विरोधाभासी कथन देते हुये कहता है कि जब वह घटना स्थल पहुँचा तो वहाँ उसे न तो भैंसे मिली और न ही आरोपीगण मिले। वहीं प्रेमनारायण (अ0सा0-3) अपने न्यायालीन कथनों में स्वयं यह कहता है कि उसने आरोपीगण के नाम तक पुलिस को नहीं बताये थे।

- 28- फूल सिंह (अ0सा0-5) का कहना है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था, अतः इस साक्षी ने भी स्वयं आरोपीगण को भैंसे हांक कर ले जाते हुये नहीं देखा। रामसिंह (अ0सा0-4) अपने कथनों में यह तो कहता है कि 7-8 व्यक्ति जानवरों को नानौन गांव में हांक कर ले गये थे, परन्तु वह व्यक्ति अभियुक्तगण में से कोई था ऐसा इस साक्षी का कहना नहीं है। बल्कि प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में यह साक्षी स्वयं स्वीकार करता है कि आरोपीगण उसके सामने भैंसें नहीं ले गये।
- 29- अतः फरियादी सहित किसी भी साक्षी के कथनों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि वास्तव में घटना दिनांक को आरोपीगण ही फरियादी सहित अन्य लोगों की भैंसे हांक कर ग्राम नानौन ले गये थे। हालांकि फरियादी सहित अभियोजन साक्षियों ने इस संबंध में कथन अवश्य दिये हैं कि ग्राम नानौन में फरियादी की भैंस मरी हुई दूसरे दिन पाई गई थी, परन्तु उक्त मृत भैंस कहा पर पाई गई, इस संबंध में फरियादी सहित किसी भी साक्षी के कथन स्पष्ट नहीं हैं।
- 30- फरियादी लाखन सिंह (अ0सा0-1) का कहना है कि सुरेन्द्र के घर से भैंस मरी हुई मिली थी तथा जो भैंस मरी थी वह गर्भवती थीं। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में भी फरियादी सुरेन्द्र के पौर में अपनी भैंस मरी हुई मिलना बताता है। प्रेमनारायण (अ0सा0-3) का कहना है कि नानौन के एक घर में भैंस मरी हुई मिली थी, परन्तु वह घर किसका था यह इस साक्षी ने अपने कथनों में स्पष्ट नहीं किया। इसी प्रकार फूल सिंह (अ0सा0-5) ग्राम नानौन के एक मकान में मवेशी भरे होने के संबंध में कथन देता है, परन्तु इस साक्षी का कहना है कि वह मवेशी को छुड़ाने नहीं गया तथा इस साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया है कि उसने मरी हुई भैंस कहा पर देखी थी। रामसिंह (अ0सा0-4), महेन्द्र, सुरेन्द्र व जहेन्द्र के घर में भैंसे बंद किया जाना बताता है, परन्तु प्रतिपरीक्षण में इसी साक्षी का कहना है कि वह नहीं बता सकता है कि वह घर किसका था। बैजनाथ (अ0सा0-9) कान्जी हाउस में भैंस मरी हुई मिलना बताता है, परन्तु इस साक्षी के कथनों से यह स्पष्ट नहीं है कि वह कांजी हाउस किसका था।
- 31- फरियादी को छोड़कर शेष सभी साक्षियों के कथन इस संबंध में स्पष्ट नहीं हैं कि वास्तव में मरी हुई भैंस कहा पर मिली थी। लाखन सिंह (अ0सा0-1) का अपने कथनों में हालांकि कहना है कि भैंस सुरेन्द्र के घर से मिली थी, परन्तु अनुसंधानकर्ता अधिकारी बैजनाथ (अ0सा0-6) के द्वारा बनाये गये नक्शा मौका प्रदर्श-पी-2 में घटना स्थल रामलाल लोधी का मकान दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि जो घटना स्थल नक्शा मौका प्रदर्श-पी-2 में चिह्नित है कि वह सुरेन्द्र का मकान नहीं है। नक्शा मौका के साक्षी सेंधपाल (अ0सा0-7) ने भी अपने कथनों में नक्शा मौका प्रदर्श-पी-2 पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किये हैं, परन्तु इस साक्षी का कहना है कि उसने घटना स्थल नहीं

देखा न ही उसे इसकी जानकारी है, इस साक्षी के अनुसार उसने तो दरोगा जी के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। अतः वास्तव में फरियादी की भैंस मरी हुई आरोपीगण में से किसी के मकान में बरामद हुई थी, यह फरियादी सहित किसी भी साक्षी के कथनों से प्रमाणित नहीं होता है।

- 32- फरियादी लाखन सिंह (अ0सा0-1) का कहना है कि आरोपीगण ने उसकी गर्भवती भैंस का वध किया है, जो कि दूसरे दिन सुरेन्द्र के मकान से बरामद हुई है, परन्तु अनुसंधानकर्ता अधिकारी बैजनाथ (अ0सा0-6) के द्वारा प्रकरण में विवेचना के दौरान कोई मरी हुई भैंस जो गर्भवती हो अभियुक्तगण में से किसी के भी पास या उनके अधिपत्य से बरामद नहीं की गई। प्रकरण में पशु चिकित्सक उमेश यादव (अ0सा0-11) के द्वारा प्रदर्श-पी-10 का प्रतिवेदन अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उमेश यादव (अ0सा0-11) के द्वारा व्यक्त किया गया है कि ग्राम छपरा में उन्होंने जाकर भैंस के बछड़े के सिर का परीक्षण किया था जहां उन्हें केवल बछड़े का सिर मिला था, जिसकी उम्र 6 वर्ष थी। अतः स्पष्ट है कि उमेश यादव (अ0सा0-11) के द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन प्रदर्श-पी-10 गर्भवती भैंस के संबंध में नहीं है और न ही उक्त बछड़े का सिर ग्राम नानौन में पाया गया। डॉक्टर उमेश यादव के द्वारा कोई राय बछड़े के सिर मिलने पर नहीं दी गई।
- 33- अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा ग्राम नानौन से अभियुक्तगण के अधिपत्य से सर्वप्रथम तो गर्भवती भैंस का शव बरामद नहीं किया गया, वहीं दूसरी ओर पशु चिकित्सक उमेश यादव (अ0सा0-11) के द्वारा प्रदर्श-पी-10 का प्रतिवेदन 6 माह के बछड़े के सिर के संबंध में दिया गया, जिसके संबंध में कोई राय चिकित्सक नहीं दी तथा उक्त सिर का परीक्षण भी उमेश यादव (अ0सा0-11) के द्वारा ग्राम नानौन में न किया जाकर ग्राम छपरा में किया गया। क्योंकि इस साक्षी के अनुसार सिर वही पर मिला था। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी बैजनाथ (अ0सा0-6) को फरियादी लाखन सिंह (अ0सा0-1) भैंस का शव अभियुक्तगण के अधिपत्य से बरामद ही नहीं हुआ तथा उमेश यादव (अ0सा0-11) के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया वह भी फरियादी के द्वारा विवरण बताई गई भैंस का नहीं है और न ही उस स्थान पर सिर बरामद हुआ है।
- 34- अतः घटना दिनांक को या उसके दूसरे दिन अभियुक्तगण ने फरियादी की भैंस को हांक कर उसके प्रति क्रूरता कारित कर भैंस का वध किया इस आशय की कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण में अभियुक्तगण के अधिपत्य से भैंस का शव बरामद नहीं हुआ है, वही डॉक्टर उमेश यादव (अ0सा0-11) के द्वारा प्रदर्श-पी-10 का प्रतिवेदन जिसे बछड़े के सिर के संबंध में दिया गया है, उक्त विवरण से एवं परीक्षण किये गये स्थान से यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्श-पी-10 का प्रतिवेदन भी फरियादी के द्वारा कथित भैंस का नहीं है। अतः उपरोक्त आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना ही कारित की गई तथा यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी की भैंस का वध कर कोई रिष्टी का अपराध कारित किया।
- 35- प्रकरण में दोष सिद्धि के लिये अभियोजन को अपना प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करना होता है। संदेह होने की दशा में उसका लाभ अभियुक्तगण प्राप्त करने के

अधिकारी होते हैं वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अभिलेख पर इस आशय की कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो कि अभियोजन घटना प्रमाणित करती हो।

36- फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि दिनांक-05.10.2000 को शाम 06:00 बजे अभियुक्तगण ने पशुओं के प्रति क्रूरता एवं रामस्वरूप, प्रेमनारायण व पप्पू को स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिये विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर बलवा कारित किया साथ ही अभियोजन यह भी साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में जमाव का सदस्य रहते हुये रामस्वरूप, प्रेमनारायण व पप्पू को स्वेच्छया उपहति कारित कर पशुओं के प्रति क्रूरता कारित करते हुये फरियादी की भैंस का वध कर उसे 5,000/- मूल्य की रिष्टी कारित की।

37- फलतः अभियुक्तगण सुरेंद्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह बुंदेला, रामचरण पुत्र गणपत सिंह, बल्लू उर्फ कल्लू पुत्र हमीर सिंह धोबी, नन्दलाल पुत्र तुलसीराम लोधी, छोटे उर्फ ज्योतेन्द्र पुत्र बहादुर सिंह बुन्देला, भूपेन्द्र पुत्र जहेन्द्र सिंह बुन्देला, लोकेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह बुन्देला के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 148, 429/149, 323/149 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण सुरेंद्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह बुंदेला, रामचरण पुत्र गणपत सिंह, बल्लू उर्फ कल्लू पुत्र हमीर सिंह धोबी, नन्दलाल पुत्र तुलसीराम लोधी, छोटे उर्फ ज्योतेन्द्र पुत्र बहादुर सिंह बुन्देला, भूपेन्द्र पुत्र जहेन्द्र सिंह बुन्देला, लोकेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह बुन्देला भा0द0वि0 की धारा 148, 429/149, 323/149 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

38- अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)